(8)

न्यायालय, अपर समाहर्ता, मधुबनी।

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख...तक

जिला.............मधुबनी ..**संख्या.–01/16–17,**

वाद का प्रकार : बिहार भूमि सुधार एवं अधिकतम सीमा निर्धारण अधिनियम की धारा– 16(3) अरिया सिलिंग अपील वाद

अर्जीकारः– देवेन्द्र प्रसाद यादव

प्रतिपक्षीः–बिनोद साह एवं अन्य

आदेश का क्रम संख्या और तारीख		आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
21.6.19	यह अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फुलपरास के न्यायालय बिहार भूमि सुधार एवं अधिकतम सीमा निर्धारण अधिनियम की धारा– 16(3) अरिया सिलिंग वाद संख्या–02/2013 में पारित आदेश 08.03.2016 के विरूद्ध प्रारम्भ हुई। सुनवाई के क्रम में पाया गया कि भूमि सुधार उप समाहर्ता, फुलपरास के न्यायालय बिहार भूमि सुधार एवं अधिकतम सीमा निर्धारण अधिनियम की धारा– 16(3) अरिया सिलिंग वाद संख्या– 2/13 बिनोद साह–बनाम–देवेन्द्र प्रसाद यादव एवं अन्य में दिनांक–03.12.2013 को भूमि सुधार उप समाहर्ता, फुलपरास द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपर समाहर्ता न्यायालय में अपील वाद संचालित हुआ जिसमें तत्कालीन अपर समाहर्ता ने दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरान्त दिनांक–14.08.2015 को आदेश पारित करते हुये वाद को निम्न न्यायालय में पुनः सुनवाई कर निर्णय लेने हेतु रिमाण्ड किया था। भूमि सुधार उप समाहर्ता, फुलपरास ने पुनः वाद की सुनवाई कर दिनांक–08.03.2016 को आदेश पारित किया जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में पुनः अपीलकर्ता की ओर से अपील दायर की गई जिसकी सुनवाई कर वाद को आदेशार्थ रखा गया एवं दोनों पक्षों को लिखित बहस प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया। दोनों पक्षों की ओर से वकालतन लिखित बहस प्रस्तुत किया गया। इस बीच सरकार के संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–235(8)/रा0 दिनांक–05.04.2019 से बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) अधिनियम 2019(बिहार अधिनियम 6, 2019) के अधिसूचना की गजट की प्रति जो विधि विभाग, बिहार पटना की अधिसूचना सं0 एल0जी0–01–15/2018/1569/लेज दिनांक–25.02.2019 द्वारा	

(9)

2019 द्वारा अधिसूचना की संसूचित की गई है जिसमें अधिनियम 1961 की धारा–16 की उप धारा (3) को निरसित की गई है। उक्त अधिनियम की धारा–16 में निम्नलिखित नई उप धारा– (4) जोड़ी गई है:–

"(4) इस अधिनियम की धारा–16 की उप धारा–(3) के निरसन के पश्चात् राज्य सरकार, राजस्व पर्षद, बिहार भूमि न्यायाधिकररण, प्रमंडलीय आयुक्त, समाहर्ता, अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता अथवा किसी अन्य न्यायालय में लंबित सभी मामले अथवा कार्यवाही उपशमित समझी जायेगी।

(ii) इस अधिनियम की धारा–16 की उप धारा–(3) को निरसन के अनुशरण में पहले वैध रूप से जमा की गई कय राशि उसके 10% के समतुल्य राशि के साथ, जमाकर्ता को बिना सूद के लौटा दी जायेगी।

चूँकि विभागीय अधिसूचना के अनुसार धारा–16(3) को उपशमित कर दी गई है इसलिए इस न्यायालय में प्रकियाधीन उक्त वाद की कार्यवाही को उपशमित समझा जाय।

आदेश की प्रति के साथ विभागीय अधिसूचना के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख वापस लौटावें।

लेखापित

21.6.19

अपर समाहर्ता ।

21.6.19

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।